बिहार सरकार
<u>वित्त विभाग</u>

पटना, दिनांक- 27/12/13

प्रेषक,

रामेश्वर सिंह,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
बिहार सरकार ।

विषयः- **उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-271 में प्रावधान है कि "अनुदान स्वीकृत्यादेश निर्गत करने वाले प्राधिकारी अनुदान प्राप्तकर्त्ता से अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा इसे महालेखाकार को प्रेषित करेंगे ।"

बिहार कोषागार संहिता, 2011 दिनांक 01.10.2011 से राज्य में लागू है । इसलिए उपरोक्त नियम, 271 का प्रावधान दिनांक 01.10.2011 के पूर्व के सहायक अनुदान के उपयोगिता प्रमाण पत्र पर लागू नहीं होगा ।

सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी उपयोगिता प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में बिहार वित्त नियमावली के नियम 341 एवं 342 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय में समर्पित करें ।

विश्वासभाजन,
27/12/13
(रामेश्वर सिंह)
प्रधान सचिव ।

URGENT

Pramod/sec-4/1